राजस्थान सरकार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः 27.37/भर्ती/2019/13 दिनांकः 22.01.2019

<u>विज्ञप्ति</u>

उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमांक एफ89(06)उ.मा.वि/उ.स./2006–V–ii दिनांक 13.12.2018 के परिपेक्ष्य में राज्य आयोग के अधीन कार्यरत विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों में अध्यक्ष के रिक्त हुये एवं दिनांक 31.12.2019 तक रिक्त होने वाले निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.सं.	नाम जिला मंच	अध्यक्ष रिक्त पद
1.	अजमेर	01
2.	बासंवाडा	01
3.	बाडमेर	01
4.	बून्दी	01
5.	चित्तौडगढ़	01
6.	चूरू	01
7.	दौसा	01
8.	डूंगरपुर	01
9.	हनुमानगढ़	01
10.	जैसलमेर	01
11.	जालौर	01
12.	झालावाड	01
13.	करौली	01
14.	पाली	01
15.	प्रतापगढ़	01
16.	सीकर	01
17.	उदयपुर	01
18.	जोधपुर द्वितीय	01
	योग	18

<u>अध्यक्ष पद हेतु आवेदन करने की योग्यता/शर्ते :–</u>

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10(1)(क) के अनुसार वही व्यक्ति, जो वर्तमान में जिला न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता (राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 33 में यथा प्रावधानित अनुसार) जहाँ तक लागू हो/ सुसंगत शर्ते लागू होगी/आयु व अनुभव सम्बन्धी शर्त लागू होगी) रखते हो, पात्र होगें ।

<u>ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अयोग्य होंगे यदि वहः–</u>

(क) किसी अपराध के लिये, जो राज्य सरकार के अभिमत में नैतिक अधमता में शामिल होता है,में दोष सिद्ध एवं कारावास के लिये दण्डादेश दिया गया है, या

(ख) अधोषित दिवालिया है, या

(ग) विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(घ) सरकार या निगमित निकाय/सरकार द्वारा स्वीकृत एवं नियंत्रित की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है, या

(ड) राज्य सरकार के अभिमत में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता/रखती है, जिससे उसके द्वारा सदस्य के रूप में कार्य निर्वहन से प्रतिकूल प्रभाव पडनें की सम्भावना हो, या

(च) ऐसी अन्य अयोग्यताओं को रखता/रखती हो, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ।

सेवारत जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से ही अग्रेषित करना होगा।

सेवानिवृत जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी अथवा जो जिला न्यायाधीश होने के लिए उपरोक्तानुसार योग्यता अर्हता रखते हैं, वे आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सीधे ही रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान के कार्यालय में भिजवा सकते हैं।

आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है एवं पदस्थापन के स्थान में बदलाव किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थान/ स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में किया जा सकेगा ।

यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 की उपधारा (1–क) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा की जावेगी। इस हेतु चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु भी बुलाया जा सकेगा। साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय या अन्य कोई व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की सूचना हेतु आवेदक आयोग की बेवसाईट rscdrc.food.rajasthan.gov.in पर जानकारी ले सकते है।

नियत समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले अथवा बिना प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर आदि न होने या किसी भी कमी के साथ अपूर्ण आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में अध्यक्ष हेतु चयनित व्यक्ति लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं रहेगा, ना ही चयन के पश्चात् लाभ का पद ग्रहण करेगा । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (राजस्थान) नियम,1987 के प्रावधान एवं राज्य सरकार के नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार मानदेय/वेतन/भत्ते/परिलाभ देय होंगे ।

यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिये होगी ।

उपरोक्त अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित विवरण सहित बायोडेटा मय फोटो तीन प्रतियों में आवेदन पत्र (प्रारूप विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।) के साथ संलग्न कर आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 22.02.2019 के कार्यालय समय समाप्ति तक **''रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर''** को लिफाफे के ऊपर बांयी ओर **"जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र"** अंकित करते हुये व्यक्तिशः/डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें ।

Sd/-
रजिस्ट्रार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक रा.आ./भर्ती/2019/14-24 दिनांक 22-01-2019
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर एवं जयपुर ।
6. प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करावें।
9. राजस्थान राज्य के समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, समस्त पारिवारिक न्यायालय, समस्त श्रम न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश स्तरिय प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान, को नोटिस बोर्ड़ पर चस्पा एवं व्यापक प्रचार–प्रसार व बार एसोसियेशन को भेजने हेतु ।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त **विज्ञप्ति का प्रकाशन** तत्काल कराए जाने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर से सम्पर्क कर शीघ्र कार्यवाही करावें।
11. रक्षित पत्रिका।

रजिस्ट्रार, 22/1
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर

Application for the post of President of the District Consumer Disputes Redressal Forum.

Please affix your Recent Photograph

(a) (i) Full Name (in English capital letters)

(ii) नाम (हिन्दी में)

(b) Father/Husband Name

(c)(i) Date of Birth & Age as on 22 /02/2019

(c)(ii) Category- SC/ST/OBC/Woman Candidate

(d) Address with telephone Nos., Mobile No., fax, Email etc.

(i) Permanent Residential address

(ii) Present Address

(iii) Office address

(e) Educational & Professional Qualification (Graduation and onwards):

S.No.	Examination	University	Year in which passed	Division
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(f) Date of joining service

(g) (i) Present Designation (In case of serving officer)

(ii) Last post held (in case of retired officer)

(h) Pay scale and Basic Pay

(i) Date of Superannuation

(j) Experience of at least past 10 years (in descending order)

S.No.	Position Held	Name & Address of the Office	Period (From-to)	Nature of Work handled
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

(k) Experience at Bar (furnish details)

(l) Identification Mark
(I)

(ii)

(m) Does the applicant have more than one living spouse? Yes/ No

(n) Does the applicant attract any of the disqualification/criteria as stated in the Consumer Protection Act, 1986 or the rules made under it? If yes, furnish details thereof.

(o) Whether any PE/DE is pending against the applicant? If yes, furnish details thereof.

(p) Whether any penalty has been imposed against the applicant in any DE? If yes, furnish details thereof.

(q) Whether any adverse entry has been made against the applicant in the annual confidential Report ? If yes, furnish details thereof.

(r) Whether the applicant had earlier applied for the post? If yes, furnish details thereof.

(s) Whether the applicant had ever been prosecuted/arrested or convicted/released on probation by any court? If yes, give the details.

(t) Whether any criminal proceeding by way of FIR or private complaint is pending against the applicant? If yes, furnish details thereof.

(u) Any other accomplishments/information, the applicant may like to furnish.

(v) <u>Enclosure:</u>
(1) Attested copy of Birth Certificate
(2) Attested copy of Educational Qualification (mark sheet/certificate)
(3) Attested copy of Enrolment Certificate
(4) Certificate of experience as prescribe in Rule 33(v) of RJS Rules 2010.
(5) Attested copy of Order of superannuation
(6) Cast certificate incase of SC/ST/OBC Candidate.

Signature.

(Name)

DECLARATION

I---do hereby declare that the above information is true & correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed by me.

Signature

Place
Date

(Name)